न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 42 / 2022	2022 / 105	04.02.2022	08.04.2024

1. शेरसिंह पुत्र रामकुंवार उर्फ कंवरपाल, उम्र करीब 40 साल, जाति भोपा, निवासी काश्तकार नैथला, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर (राज0) हाल निवासी ग्राम लुहिया नंगला, तहसील व जिला भरतपुर (राज0) वारिस काबिज जायदाद रामकुंवार उर्फ कंवरपाल मृतक।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. पूरणमल गुर्जर पुत्र उमराव गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी गण्डाला (नैथला का बास) तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।
2. तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर।

—असल रेस्पोडेन्ट्स

3. रणजीत पुत्र रामकंवार उर्फ कंवरपाल, उम्र करीब 58 साल, जाति भोपा, निवासी गण्डाला (नैथला का बास) तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।
4. शेरसिंह पुत्र रामकंवार उर्फ कंवरपाल, उम्र करीब 54 साल, जाति भोपा, निवासी गण्डाला (नैथला का बास) तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।
5. कमलेश पुत्र रामकंवार उर्फ कंवरपाल, जाति भोपा, निवासी गण्डाला (नैथला का बास) तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।
6. मुकेश पुत्र रामकंवार उर्फ कंवरपाल, उम्र करीब 58 साल, जाति भोपा, निवासी गण्डाला (नैथला का बास) तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।
7. श्यामसिंह पुत्र रामकंवार उर्फ कंवरपाल, उम्र करीब 58 साल, जाति भोपा, निवासी गण्डाला (नैथला का बास) तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।
8. हरकेश पुत्र रामकंवार उर्फ कंवरपाल, उम्र करीब 58 साल, जाति भोपा, निवासी गण्डाला (नैथला का बास) तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।
9. रामश्री पुत्री रामकंवार उर्फ कंवरपाल पत्नी देवीसिंह, उम्र करीब 60 साल, जाति भोपा, निवासी केलंगा का नंगला भरतपुर।
10. राजवन्ती पुत्री रामकंवार उर्फ कंवरपाल पत्नी किशनलाल, उम्र करीब 57 साल, जाति भोपा, निवासी खुरापपरी, मथुरा।
11. बत्ती पुत्री रामकंवार उर्फ कंवरपाल पत्नी रामवीर, उम्र करीब 52 साल, जाति भोपा, निवासी केलंगा का नंगला भरतपुर।
12. सुनीता पुत्री रामकंवार उर्फ कंवरपाल पत्नी भगवान सिंह, जाति भोपा, निवासी खुरापपरी, मथुरा।
13. ब्रह्म पुत्री रामकंवार उर्फ कंवरपाल पत्नी इन्दर, जाति भोपा, निवासी केलंगा का नंगला भरतपुर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

14.गीता पुत्री रामकंवार उर्फ कंवरपाल पत्नी जितेन्द्र सिंह, जाति भोपा, निवासी गुडगांव, हरियाणा।
15.शांति बेवा रामकंवार उर्फ कंवरपाल, जाति भोपा, निवासी केलंगा का नंगला भरतपुर।

—तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार मालाखेडा दिनांक 18.12.2015 नामान्तकरण संख्या 1275 वाके ग्राम नैथला तहसील मालाखेडा।

उपस्थितः—

01. श्री उदयसिंह — वकील अपीलाण्ट
02. श्री कमलसिंह पोसवाल — रेस्पोडेन्ट
03. श्री अमरचंद चौधरी — रेस्पोडेन्ट्स

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 18.12.2015 नामान्तकरण संख्या 1575 वाके ग्राम नैथला तहसील मालाखेडा जिसके द्वारा नामान्तकरण को स्वीकार किए जाने से व्यथित होकर पेश की है, जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिन अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया गया है। जिस आदेश के तहत रामकुंवार मृतक का इंतकाल नंबर 1245 आराजी खसरा न0 1312 रकबा 0.11 है0, 1313 रकबा 0.20 है0, 1314 रकबा 0.50 है0, 1315 रकबा 0.20 है0, 1317 रकबा 0.33 है0, 1327 रकबा 0.18 है0, 1328 रकबा 0.01 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.53 है0 में से 4 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम नैथला, तहसील मालाखेडा को गलत तरीके से वसीयतनामा के आधार पर रेस्पोडेंट न0 1 के हक में दर्ज व तस्दीक किया है। उक्त आदेश की जानकारी हमें दिनांक 23.12.2015 को हुई और पता चला की आराजी मुतनाजा की वसीयत दिनांक 15.11.1985 को रामकुंवार उर्फ कंवरपाल ने कर दी है। जिस पर मिन अपीलाण्ट ने तहत अदालत से नकल लेने का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2015 को पेश किया व अपने वकील द्वारा दिनांक 25.12.2015 नोटिस दिलवाया। जिस पर मिन अपीलाण्ट को नोटिसों एवं अखबारों में साया करने तथा गवाह बोधाराम पुत्र पांचू, धीवर निवासी नैथला एवं हेतराम पुत्र मंगतूराम गुर्जर, निवासी गण्डाला मनीराम पुत्र उमराव गुर्जर, निवासी ग्राम नैथला सोनपाल पुत्र बुद्वाराम जाटव,निवासी ग्राम नैथला बृजलाल पुत्र बुद्वाराम सैनी ग्राम नैथल नथ्याराम पुत्र नोन्दराम मीणा कोठीबास ग्राम नैथला तथा मिन अपीलान्ट के शपथपत्रों एवं आदेश की नकल दिनांक 04.01.2016 को प्राप्त हुई। जिस पर मिन अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट नं.1 व अन्य के खिलाफ सक्षम अदालत में अभियोग पत्र 420, 467, 468, 471,120, बी ता0 हिन्द के तहत पेश किया व मिन अपीलान्ट ने अपने वकील साहब से इस वावत वार्तालाप की तो वकील साहब ने पुनः नकल आदेश दिनांक 09.12.2015 व नकल इंतकाल दिनांक 18.12.2015 की नकल लेने के बाबत कहा। जिस पर मिन अपीलान्ट ने अपने वकील साहब के द्वारा दिनांक 28.12.2015 को नकल आदेश तहत अदालत दिनांक 09.12.2015 की नकल लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर नकल आदेश दिनांक 04.01.2016 को मिली व नकल इंतकाल दिनांक 18.12.2015 की नकल लेने के लिए दिनांक 05.02.2016 को प्रार्थना

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

पत्र राजाराम द्वारा पेश कराई। जिस पर नकल इंतकाल दिनांक 08.02.2016 को मिली। नकल आदेश दिनांक 09.12.2015 व नकल इंतकाल दिनांक 18.12.2015 को अपने वकील साहब को दिखाया जिन्होने अपील दायर करने की हिदायत दी। जिससे मिन अपीलान्ट ने रूपये पैसे का इंतजाम किया जिससे यह अपील आज बिला देरी के पेश है। मिन अपीलाण्ट ने दीदोदानिस्ता देरी नहीं की है। उक्त देरी माफ होने योग्य है। जिस बावत प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 कानून मियाद अलहेदा से मय शपथपत्र पेश है। तजवीज अदालत मातहत तहसीलदार (भू०अ०) मालाखेडा जिला अलवर होने से अपील काबिल समाअत अदालत श्रीमान् है। अपील हाजा पर कोर्ट फीस 2/– रू. चस्पा है। तजबीज अदालत मात्तहत बेजा व खिलाफ मंसाय कानून व बेजा व रूएदार मिसल महज कयासया है जो काबिल मंसुखी है। मिन अपीलाण्ट के पिता रामकुंवार उर्फ कंवरपाल को वाके ग्राम नैथला हाल तहसील मालाखेडा में खसरा नंबर 642 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा भूमिहीन होने के कारण उसके परिवार को पालने के लिए अलॉट हुई थी। मिन अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु दिनांक 16.02.2003 में हो गई। मिन अपीलाण्ट के पिता के जीवनकाल में मिन अपीलाण्ट व उसका समस्त परिवार मिन अपीलाण्ट के पिता के साथ उक्त भूमि पर काश्त करते एवं मिन अपीलाण्ट के मरने के बाद भी मिन अपीलाण्ट एवं उसके परिवार के सदस्य काश्त करते है। मिन अपीलाण्ट घुमन्तु जाति का व्यक्ति है। कुछ सालों से ग्राम नैथला से ग्राम तूहिया नंगला तेहहिया जिला भरतपुर में रहते है। मिन अपीलाण्ट पढा लिखा नहीं है। मिन अपीलाण्ट अपनी भूमि को समय समय पर आकर संभालने जाता है। दिनांक 23.12.2015 को अपने खेतों पर सार संभाल करने आया तो रेस्पोडेण्ट नं. 1 ने कहा कि तेरी यहां कोई जमीन नहीं है। तेरा पिता अलॉट हुई भूमि को मुझे दिनांक 15.11.1985 को वसीयत कर गया और मैने तहसीलदार मालाखेडा से मिलकर अपने नाम इन्तकाल तस्दीक कर लिया है। जिस पर मिन अपीलाण्ट ने तहसीलदार कार्यालय में नकल लेने का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2015 को वकील द्वारा नोटिस दिनांक 25.12.2015 को दिया। जिस पर मिन अपीलाण्ट को नोटिसों एवं अखबारों में साया करने तथा गवाह बोधाराम पुत्र पांचू धीवर निवासी नैथला एवं हेतराम पुत्र मंगतूराम गुर्जर, निवासी गण्डाला, मनीराम पुत्र उमराव गुर्जर, निवासी ग्राम नैथला, सोनपाल पुत्र बुद्धाराम जाटव, निवासी ग्राम नैथला, बृजलाल पुत्र बुद्धाराम सैनी निवासी ग्राम नैथला नथ्थाराम पुत्र नोन्दराम मीणा कोठीबास ग्राम नैथला तथा स्वयं का शपथपत्रों एवं आदेशों की नकल दिनांक 04.01.2016 को प्राप्त हुई तथा वसीयत की नकल नहीं दी गई। जिसे अपने जानकार से मिलस दिखवायी गयी तो पता चला कि वसीयत असल पेश नहीं की गई फोटो कॉपी पेश की गई है। वसीयत पर मरे हुए आदमी किशनलाल गुर्जर पुत्र रामसहाय गुर्जर व अमरसिंह पुत्र गणेश गुर्जर, निवासीयान नैथला को गवाह बनाये गये जबकि उपरोक्त दोनों गवाह दिनांक 15.11.1985 से पहले दोनों मर चुके थे। मिन अपीलाण्ट का पिता दिनांक 16.02.2003 में मर गया था जबकि मिन अपीलाण्ट के पिता का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर दिनांक 06.07.2006 को मरना बताया है। दिनांक 15.11.1985 को मिन अपीलाण्ट का पिता गैर खातेदार था एवं गैर खातेदार अलॉटशुदा भूमि को कानून वसीयत नहीं कर सकता है। वसीयत में मिन अपीलाण्ट के पिता को निसंतान बताया गया जबकि उसकी पत्नी एवं पुत्र व पुत्रियां है। मिन अपीलाण्ट के पिता द्वारा कोई वसीयत नहीं कराई गई थी। मिन अपीलाण्ट जिला भरतपुर में रहते थे। मिन अपीलाण्ट के परिवार में कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। अलवर के अखबार में वसीयत को साया करवाया है जबकि रेस्पोडेण्टान जानते थे कि मिन अपीलाण्ट अलवर जिला में नहीं रहते है अगर 2006 में मिन अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु होना बताया तो 9 वर्ष तक इंतकाल की कार्यवाही क्यों नहीं की जिनके शपथपत्र बतौर गवाह पेश किये है। एक में भी जानबुझ के उम्र नहीं दर्शाई गई है। उपरोक्त प्रकार से पूरणमल पुत्र उमराव ने फर्जी वसीयत तैयार की है एवं फर्जी वसीयत के आधार पर तहसीलदार एवं शपथपत्रकर्ता मुलजिमान बोधाराम, हेतराम, मनीराम, सोहनलाल, बृजलाल, नत्थाराम ने फर्जी व

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

झूठा दस्तावेज तैयार कर लाभ प्राप्त किया तथा तहसीलदार सुरेन्द्र प्रसाद अन्य लोगों ने षडयंत्र कर पूरणमल का सहयोग दिया। तहत अदालत ने अपने आदेश में अंकित किया है कि मुताबिक वसीयत रेस्पोडेण्ट नं. 1 रामकुवार उर्फ कंवरपाल मृतक का एकमात्र वारिस है। जबकि रेस्पोडेण्ट नं. 1 रामकुंवार उर्फ कंवरपाल मृतक का वारिस नहीं है। जबकि रामकुंवार उर्फ कंवरपाल के वारिस अपीलाण्टान व तरतीबी रेस्पोडेण्टान है। रामकुंवार उर्फ कंवरपाल ने रेस्पोडेण्ट नं. 1 के पक्ष में तथाकथित वसीयत तहरीर व तकमील नहीं की है। वसीयतनामा की कुल कार्यवाही रेस्पोडेण्ट नं. 1 व उसके मेली व मददगार व हमकौम ने फर्जकारी करके वसीयतनामा तैयार किया है। रामकुंवार उर्फ कंवरपाल जाति से भोपा है। जबकि रेस्पोडेण्ट नं. 1 जाति से गुर्जर है। रेस्पोडेण्ट नं. 1 ने रामकुंवार उर्फ कंवरपाल की कोई सेवा सुश्रुषा किसी भी किस्म की नहीं की। वसीयतनामा फर्जी तौर पर बनाया गया है। तहत अदालत में रेस्पोडेण्ट नं. 1 ने तथाकथित वसीयतनामा असल पेश नहीं किया बल्कि तथाकथित वसीयतनामा की फोटो कॉपी पेश की है। जिस पर गौर नहीं किया जा सकता लेकिन तहत अदालत ने इस फर्जी वसीयतनामे की फोटो कॉपी पर यकीन करके गलत तरीके पर आदेश पारित किया है। तथाकथित वसीयतनामा पर मरे हुए आदमी किशनलाल गुर्जर पुत्र रामसहाय गुर्जर व अमरसिंह पुत्र नरेश गुर्जर निवासी नैथला को गवाह बनाया है जबकि उक्त दोनों गवाह दिनांक 15.11.1985 से पहले ही फौत हो चुके थे। रेस्पोडेण्ट नं0 1 ने तहत अदालत में जो गवाहन के बयान कराये है उन गवाहन ने यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि रामकुंवार उर्फ कंवरपाल ने रेस्पोडेण्ट नं0 1 के पक्ष में कौनसी तारीख को वसीयत की है जबकि तारीख अंकित होना आवश्यक है। दीगर एतराजात वक्त समाअत बहस सेवामें ओर अर्ज किये जावेंगें। प्रार्थना पत्र कि अपील अपीलाण्ट मंजूर फरमायी जाकर तजबीज अदालत मातहत दिनांक 09.12.2015 मंसुख फरमायी जावें। साथ ही अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पेश किया है जिसमे वर्णित किया गया है कि मुझे समय पर विभिन्न प्रकार की नकलें नहीं प्राप्त हुई तथा केस दायर करने के लिए वकील की फीस का इंतजाम करने के लिए समय व्यतीत हुआ। जिससे अपील आज बिला देरी से पेश है। मिन अपीलाण्ट ने दीदोदानिस्ता देरी नहीं की है। उक्त देरी माफी योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 कानून मियाद अधिनियम मुजरा दिया जाकर उक्त देरी माफ फरमायी जावे व अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद करार दिया जावे। हलफनामा पेश है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

रेस्पोडेण्ट नं0 1 पूरणमल गुर्जर द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का जवाब दिया गया जो निम्न प्रकार से है कि इन्तकाल जेर अपील तारीख 09.12.2015 को स्वीकार हुआ है। कानूनन इस आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट यह अपील एक माह के अन्दर तारीख 09.01.2016 तक पेश कर सकता था। अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 के जिमन नं0 2 में यह दर्ज किया कि उसने नकल प्राप्त करने हेतु तारीख 28.12.2015 को पेश की जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि उसे इन्तकाल स्वीकार किये जाने की जानकारी तारीख 28.12.2015 को हो गई थी तो फिर अपीलाण्ट ने इस तारीख से भी एक माह के अन्दर अपील पेश नहीं की है और इस प्रकार उसकी स्वयं की स्वीकारोक्ती के आधार पर ही अपील अवधि के बाहर पेश की है। देरी को माफ किए जाने का कोई उचित कारण अपीलाण्ट ने नहीं बताया है। विवादित आराजी व वसीयतकर्ता रामकुंवार से अपीलाण्ट का कोई संबंध नहीं है। रामकुंवार का एक ही नाम था। उसको उर्फ कंवरपाल गलत बताया है। अतः प्रार्थना है कि अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे और अपील हाजा अवधि के बाहर होने के आधार पर निरस्त फरमाई जाकर हर्जा खर्चा दिलाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

रेस्पोडेण्ट नं0 2 तहसीलदार मालाखेडा द्वारा अपील का जवाब दिया गया जो निम्न प्रकार से है कि पूरणमल पुत्र श्री उमराव जाति गुर्जर (प्रार्थी) के प्रार्थना पत्र दिनांक 26.10.2015 इस कार्यालय में इस आशय का प्राप्त हुआ था कि स्व0 श्री रामकुंवार ने अपने जीवन काल में अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की प्रार्थी के हक में वसीयत दिनांक 16.11.1985 को ही कर दी थी। अतः स्व0 श्री रामकुंवार की विरासतता इंतकाल प्रार्थी के नाम मंजूर किया जावे। प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निर्णय किया गया है। प्रकरण में उज्रदारी लिये जाने हेतु अखबार में साया भी प्रकाशित किया गया था। प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार किया गया है। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संबंधित आराजी पर प्रार्थी (पूरणमल पुत्र श्री उमराव गुर्जर) का कब्जा काश्त होना तथा कब्जे काश्त में कोई विवाद नहीं होना दर्शाया गया है। प्रकरण में नियमानुसार निस्तारण किया गया है। वसीयत पर गवाहों को प्रेषित नोटिसों पर तामील कुलन्दा की रिपोर्ट के अनुसार गवाहों की मृत्यु वसीयत के उपरान्त होना जाहिर हुआ है। प्रकरण में प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार स्व0 रामकुंवार पुत्र सरूपा की मृत्यु दिनांक 06.07.2006 को होना जाहिर हुआ है। रामकुंवार पुत्र सरूपा के नाम गैरखातेदारी से खातेदारी का नामांतरकरण दिनांक 29.11.1978 अर्थात वसीयत दिनांक से पूर्व ही स्वीकार किया जा चुका था तथा प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया गया था। प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर ही कार्यवाही की गई है। यह भी उल्लेखित है कि अपीलाण्ट द्वारा भी विरासत नामान्तरकरण संबंधी कोई प्रार्थना पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। वसीयत के उक्त प्रकरण में प्रार्थी (पूरणमल) द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा शपथ पत्रों एवं वर्तमान नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत यह निस्तारण किया गया। आदेश में उक्त अंकन की गलत व्याख्या की गई है। वह भाग प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के उल्लेख हेतु अंकित है। प्रार्थी द्वारा वसीयतनामा की नोटरीशुदा प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई तथा मूल प्रति भी कार्यवाही के दौरान मिलान हेतु प्रस्तुत की गई थी। वसीयत पर गवाहों के संबंध में बिन्दु संख्या 05 के अनुसार स्थिति स्पष्ट की गई है। गवाहान द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों में वसीयत दिनांक अंकित नहीं है लेकिन स्पष्ट अंकित किया गया है कि मृतक रामकुंवार ने अपने जीवनकाल में अपनी आराजी की वसीयत प्रार्थी (पूरणमल) के नाम की थी तथा संबंधित आराजी पर प्रार्थी ही काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। इस कार्यालय द्वारा प्रकरण में नियमानुसार निर्णय किया गया है। अतः अपील के संबंध में माननीय न्यायालय समुचित निर्णय फरमावें।

वकील उभय पक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया एवं वकीलों के पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील उभय पक्ष की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया गया। प्रकरण में अपीलान्ट की बिन्दुवार बहस सुनी गई। बहस में वकील अपीलान्ट द्वारा ये तथ्य अंकन कराये गए कि मेरा क्लाइंट जाति से भोपा था, समान जाति का नहीं था। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र गलत तरीके से जारी किया गया है। हमारे द्वारा अलग से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराया गया है। दोनों मृत्यु प्रमाण पत्र अलग–अलग

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

कार्यालय से जारी किये गए हैं, एक भरतपुर एवं एक मालाखेडा से जारी हुआ है तथा दोनों को जारी करने की तारीख अलग है। वसीयत पर मरे हुए आदमी किशनलाल गुर्जर पुत्र रामसहाय गुर्जर व अमरसिंह पुत्र गणेश गुर्जर, निवासीयान नैथला को गवाह बनाये गये जबकि उपरोक्त दोनों गवाह दिनांक 15.11.1985 से पहले दोनों मर चुके थे। मिन अपीलाण्ट का पिता दिनांक 16.02.2003 में मर गया था जबकि मिन अपीलाण्ट के पिता का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर दिनांक 06.07.2006 को मरना बताया है। तहसीलदार द्वारा गवाह के रिकॉर्ड को इग्नोर किया गया है एवं सेक्शन 96 के अन्तर्गत मूल खाते के वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर रेस्पोडेन्ट के आदेश दिनांक 09.12.2015 द्वारा स्वीकार किए गए नामान्तकरण संख्या 1275 को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 42 दिनांक 28.01.2016, मृत्यु प्रमाण पत्र स्व0 रामकुंवर उर्फ कुंवरपाल रजि0 संख्या 081005005110036200001 / 2016, आधार कार्ड शेरसिंह 212893270626, राशन कार्ड संख्या 00075 पेश किये हैं। तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई ऐसा प्रतीत होता है कि तहसीलदार को निर्णय करने की जल्दबाजी थी। वारिसों को भी तलब करना एवं सुनना भी उचित नहीं समझा है। जबकि प्राकृतिक न्याय का भी उल्लंघन हुआ है। पक्षकार के जो हक–हकूक बनते हैं उनको सुनना एवं अवसर दिया जाना आवश्यक है। उक्त नामान्तरकरण प्रक्रिया में बहुत सारी कमियां हैं। एक ही व्यक्ति के दो मृत्यु प्रमाण पत्र हैं। गवाहों के मिलान में भी संदिग्धता है। मृतक खातेदार भोपा की जाति किस श्रेणी में आती है। वसीयत के नियम उस पर लागू होते हैं कि नहीं होते हैं। वसीयत का निर्धारण सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा घोषित होना चाहिए इत्यादि पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं बहस में आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार मालाखेडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2015 इंतकाल संख्या 1275 वाके ग्राम नैथला तहसील मालाखेडा को निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार मालाखेडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नामान्तरकरण में वारिसों को सम्मिलित करते हुए सुनवाई का समुचित विधिक अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय 45 दिवस में पारित कर अग्रिम कार्यवाही करने की सुनिश्चितता करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

राजस्थान
सरकार